

## 11. विकलांगता पेंशन

₹1,000 /— (रूपये एक हजार) प्रतिमाह, लकवा, कोढ़, टी.बी. अथवा दुर्घटना आदि में स्थायी विकलांगता की स्थिति में तथा स्थायी पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में एकमुश्त ₹75,000 /— (रूपये पचहतर हजार) एवं आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एकमुश्त ₹50,000 /— (रूपये पचास हजार) देय है।